

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग,

॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक- 9.1.7.2014

सं0सं-3/एम0-105/2010 सा0प्र0.93.59/ भारत-संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ।-** (1) यह नियमावली "बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्तों) (संशोधन) नियमावली, 2014 कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार राज्य सरकार के सचिवालय विभागों, संलग्न कार्यालयों एवं विभिन्न स्तर के मुफ्स्सील कार्यालयों तक होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. उक्त नियमावली, 2005 के नियम 4 के उपनियम (2) का खंड (i) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(i) उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता मैट्रिक उत्तीर्ण अथवा समकक्ष होगी।

3. उक्त नियमावली, 2005 का नियम-4 का उपनियम-(3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

"(3) उम्मीदवार की न्यूनतम आयु अठारह (18) वर्ष होगी और अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार, द्वारा, समय-समय पर, अवधारित की जाय।

परंतु, राज्य सरकार के किसी कार्यालय में वाहन चालक के पद पर संविदा के आधार पर विधिवत नियोजित अभ्यर्थियों को नियुक्ति की अधिकतम उम्र सीमा में उक्त नियोजन की अवधि (अधिकतम 5 वर्षों) तक की शिथिलता दी जा सकेगी।

4. उक्त नियमावली, 2005 के नियम- 4 के उपनियम (4) एवं (5) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किये जायेंगे :-

“(4) – सीधी भर्ती साधारण कोटि के पदों पर होगी। एतदर्थ प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना और रोस्टर क्लियरेंस के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकार अपनी अधियाचना सीधे आयोग को 30 अप्रैल तक निश्चित रूप से भेज देंगे। अधियाचना प्राप्त होने पर, आयोग चयन प्रक्रिया पूरी कर, चयनित वाहन चालकों के संबंध में अपनी अनुशंसा सीधे संबंधित नियुक्ति प्राधिकार को भेज देगा।”

“(5)– अधियाचना के आलोक में, आयोग रिक्तियों के विरुद्ध विज्ञापन द्वारा आवेदन आमंत्रित करेगा और लिखित परीक्षा तथा संविदा के आधार पर नियोजित होकर वाहन चालन के कार्य अनुभव के आधार पर, रिक्तियों के 2.5 गुणा अभ्यर्थियों को, वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी, जाँच हेतु, आमंत्रित करेगा। लिखित परीक्षा एवं संविदा के आधार पर नियुक्त वाहन चालक के कार्यानुभव के लिए अंकों का अवधारण निम्नवत् होगा :-

- (क) लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के लिए – 75 अंक
(ख) बिहार सरकार के कार्यालयों में संविदा के आधार पर विधिवत् नियोजित वाहन चालक के वाहन चालन के कार्यानुभव के लिए – 25 अंक
(प्रत्येक वर्ष के वाहन चालन अनुभव के लिए 5 (पांच) अंक, अधिकतम 25 (पचीस अंक))

टिप्पणी :- अभ्यर्थी द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्तांक के लिए उक्त परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों का प्रतिशत, 0.75 के गुणक से गुणा करके, अवधारित किया जायेगा। यथा-यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा कुल 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किया गया हो, तो उसे $50 \times 0.75 = 37.5$ अंक दिये जायेंगे। अभ्यर्थी जिस कार्यालय में संविदा पर विधिवत् नियोजित होकर कार्यरत रहा हो, उसके कार्यालय प्रधान के माध्यम से अग्रसारित आवेदन के आधार पर ही कार्यानुभव के लिए अंक देय होगा।”

5. उक्त नियमावली, 2005 के नियम- 4 के उपनियम (4) एवं (5) के बाद एक नया उपनियम (6) निम्नवत् शामिल किया जायेगा :-

“(6) उपर्युक्त उप नियम-(5) के तहत कुल रिक्तियों के 2.5 गुणा चयनित अभ्यर्थियों को नियम-4 के उप नियम-(2) के अनुसार वाहन चालन एवं वाहन की सामान्य जानकारी की जाँच में सम्मिलित होना पड़ेगा, जिसके लिए कुल प्राप्तांक 100 होगा। यह जाँच आयोग द्वारा गठित समिति द्वारा की जायेगी जिसमें मोटर यान निरीक्षक एक सदस्य होंगे। जाँच परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी और उसी सूची के आधार पर आयोग संबंधित विभाग/कार्यालय को अनुशंसा कर सकेगा। उच्चतर शैक्षणिक योग्यता के लिए कोई अधिमानता नहीं दी जायेगी।”

6. उक्त नियमावली, 2005 के नियम- 8 का उपनियम-(1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

“(1) - नियुक्ति के बाद दो वर्षों तक परिवीक्षा अवधि रहेगी। परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूरा करने, परिवीक्षा अवधि में वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त कर लेने एवं सम्पुष्टि के लिए अवधारित जाँच में उत्तीर्ण होने पर ही परिवीक्षाधीन वाहन चालक को सेवा में सम्पुष्ट किया जा सकेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,




(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-3/एम0-105/2010 सा0प्र0.9359/ पटना-15 दिनांक- 9.7.2014

प्रतिलिपि :- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग में भेजने हेतु प्रेषित।



(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-3/एम0-105/2010 सा0प्र0.9359/ पटना-15 दिनांक- 9.7.2014

प्रतिलिपि :- सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना/बिहार लोक

प्रशासन एवं ग्रामीण विकास संस्थान (विपार्ड) पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(५/१.१.१५)

(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना-15, दिनांक- 3-7-2014

संख्या -3/एम०-105/2010...9360/ अधिसूचना संख्या 9359 दिनांक 3-7-14 का निम्नलिखित अँगरेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड(3) के अधीन अँगरेजी भाषा में उक्त अधिसूचना का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(4-7-14)

(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।

Government of Bihar
General Administration Department

NOTIFICATION

3-7-14

No. 3/M-105/2010.....9360...../ In exercise of powers conferred under proviso to Article- 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to amend the Bihar Drivers (Appointment & Service Conditions) Rules, 2005 (as amended from time to time).

- 1. Short title, extent and commencement.**— (1) These rules may be called the “Bihar Driver’s (recruitment and Service Condition) (Amendment) Rules, 2014”.
(2) It shall extend to the Secretariat Departments, Attached offices and Muffassil offices at different levels of the State Government.
(3) It shall come into force at once.
- 2. Clause (i) of Sub Rule (2) of Rule 4 of the said Rule, 2005 shall be substituted by the following:—**
“(i) The minimum educational qualification of the candidate shall be Matric pass or equivalent.”
- 3. Sub Rule (3) of Rule 4 of the said Rule, 2005 shall be substituted by the following:-**

“(3) The minimum age of the candidates shall be eighteen (18) years and the maximum age shall be such as may be determined by the State Government, from time to time:

Provided that, age relaxation up to the period of contractual appointment, {maximum up to five (5) years}, may be given to the candidates duly appointed on contractual basis in any office of the State Government to posts of driver.”

4. Sub rule (4) and (5) of Rule- 4 of the said Rules, 2005 shall be substituted by the following respectively :-

“(4) Direct recruitment shall be made to the posts of Driver (Basic grade). For this purpose, after calculation of vacancies on the basis of 1st April of every year and roster clearance, the concerned Appointing Authority shall send the requisition of vacancies to the Commission up to 30th April. After receiving the requisitions, the Commission after completing the selection procedure, shall send its recommendations to the Appointment Authority in respect of the selected drivers.”

“(5) In the light of requisition the Commission shall invite the application by advertisement against the vacancies and on the basis of written examination and work experience of driver appointed on the contract basis, the Commission shall invite the candidates 2.5 times of vacancies for Test of Driving and General knowledge of Vehicles. Marks for written examination and work experience of drivers appointed on the basis of contract shall be determined as follows:-

(a) For percentage of Marks obtained in written exam – 75 marks

(b) For Work Experience of Motor driving of drivers legally appointed on the basis contract in any office of the State Government - 25 marks

{5(Five) marks for work experience of motor driving of each year, maximum 25 (Twenty five) marks}.

Note- Marks obtained in written test by a candidate shall be determined as the percentage of total marks obtained in that examination, multiplied by 0.75. e.g. A candidate who has obtained total 50 percentage of marks shall be given $50 \times 0.75 = 37.5$ marks. Marks for Work experience shall be only admissible on the basis of application forwarded by the head of the office where Candidate is working or had worked on contractual basis.”

5. A new Sub-rule (6) shall be included after Sub-rule (4) and (5) of of Rule, 4 of the said Rules, 2005 as follows :-

“(6) 2.5 time candidates selected under above Sub-rule (5) has to appear in the test of driving and general knowledge of vehicles according to Sub-rule (2) of Rule 4 for

which total marks shall be 100. This test shall be conducted through a committee constituted by the Commission in which one member shall be motor Vehicle Inspector. The merit list shall be prepared on the basis of marks obtained in the test and the Commission shall recommend the name of selected candidate from this merit list to the concerned Department/Office. No weightage shall be given for higher educational qualification.”

6. Sub rule (1) of Rule- 8 of the said Rules, 2005 shall be substituted by the following:-
“(1) After appointment, the probation period shall be of two years. Only after successful completion of probation period receiving the commercial driving licence in the probation period and after passing the determined test for confirmation, the probationer driver may be confirm in the service.

By the order of Governor of Bihar

(u) 9.7.14

(Bashith Singh)

Spacial Secretary of Government.

पटना, दिनांक 9-7-2014

झापांक -3/एम०-105/2010...2360/

प्रतिलिपि - अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

(u) 9.7.14

(बशिष्ठ सिंह)

सरकार के विशेष सचिव।